

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

नूर मोहम्मद बनाम अकबर वगैरा

किरम मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-157/2025

तारीख हुकम	हुकम कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.10.2025	वादी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्णोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/ नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.12.2025 को पेश हो।	
6/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी स्वयं उप./वादी वकील ने शर्चना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया की पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील वादी के शर्चना पत्र पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी वकील ने शर्चना पत्र वास्ते विज्ञो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में हमारे आपसे में शर्चनामा होने के कारण व आपसी सम्झारिश करके शर्चनामा करवा र्हिया है इसलिए हम उक्त प्रकरण को अभी नहीं चल्नाना चाहते है। उक्त राजस्व वाद को इसी स्तर स्तर पर जरिये शर्चनामा विज्ञो करमाया जावे।</p> <p>वादी वकील द्वारा तस्कुत शर्चना पत्र को ब्यावहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को जरिये शर्चनामा विज्ञो किये जाने के का आदेश किया जाता है।</p> <p>पत्रावली कंसल शुमार होकर हाथिले दफतर हो। संख्या से कम हो।</p>	<p>शर्ना (वादी)</p> <p>शर्ना (वकीलवादी)</p> 